



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2006]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 2009/अग्रहायण 11, 1931

No. 2006]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2009/AGRAHAYANA 11, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2009

का.आ. 3077(अ).—जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5क की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 2005(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2007 में निम्नलिखित संशोधन एतद्वारा करती है, नामशः :-

2. केन्द्रीय सरकार धारा 5(1)(ख ग) के अधीन एतद्वारा मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. आर.एम. खरब, के स्थान पर संयुक्त सचिव (पशु कल्याण) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, को (क्रम सं. 4) पर सदस्य के रूप में मनोनीत करती है।

3. धारा 5(1)(ख ग) के अधीन डॉ. आर. एम. खरब, की सदस्यता, को धारा 5(1)(ग) के अधीन डॉ. वी. एन. अप्पाजी राव, सदस्य, (क्रम सं. 7) के स्थान पर परिवर्तित किया जाता है।

[फा सं. 11/11/2007-ए डब्ल्यू डी]

हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव (ए डब्ल्यू)

टिप्पण : भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए, इससे पहले दिनांक 29 नवम्बर, 2007 को अधिसूचना सं. का.आ. 2005(अ), द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2009

S.O. 3077(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 5A of Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 2005(E), dated the 29th November, 2007, namely :—

2. The Central Government hereby nominates Joint Secretary (Animal Welfare), Ministry of Environment and Forest as Member, under Section 5 (1) (bc) in place of Maj. Gen. (Retd.) Dr. R. M. Kharb (Sr. No. 4).

3. Membership of Dr. R. M. Kharb is changed from Member under Section 5(1) (bc) to Member under Section 5(1) (c) in place of Dr. V. N. Appaji Rao (Sr. No. 7).

[F.No. 11/11/2007-AWD]

HEM PANDE, Jt. Secy. (AW)

Note : The earlier notification regarding reconstitution of the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India vide number S.O. 2005(E), dated the 29th November, 2007.